राजस्व वाद संख्याः- 18/2023
छिन्दर वगै0 बनाम ईश्वर वगै0
निर्णय दिनांकः- 10/06/2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारीः-
श्रीमती सुमन देवी II(आर.ए.एस.)

मु0नं0 18/2023

1. छिन्दर, पुत्र स्व० स्व० श्री मनोहरसिंह उर्फ मोहरसिंह, पौत्र स्व० श्री रामस्वरूप, जाति धानक, निवासी सिरसला, तहसील सूरजगढ़, हाल निवासी संगरिया, जिला हनुमानगढ़-राज०
2. अविनाश कुमार, पुत्र स्व० श्री मनोहरसिंह उर्फ मोहरसिंह, पौत्र स्व० श्री रामस्वरूप, जाति धानक, निवासी सिरसला, तहसील सूरजगढ़, हाल निवासी संगरिया, जिला हनुमानगढ़-राज०
3. सोमा, पुत्री स्व० श्री मनोहरसिंह उर्फ मोहरसिंह, पत्नि श्री विक्रम सिंह, जाति धानक, निवासी सिरसला, हाल निवासी वार्ड नं. 19 सादुलशहर, जिला श्री गंगानगर-राज०

\- वादीगण

बनाम

1. ईश्वर, पुत्र स्व० श्री रामजीलाल, जाति धानक, निवासी सिरसला, तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनू-राज०
2. ओमप्रकाश, पुत्र स्व० श्री रामजीलाल, जाति धानक, निवासी सिरसला. तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनू-राज०
3. राजस्थान सरकार, जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार, सूरजगढ, जिला झुन्झुनू-राज०

प्रतिवादीगण

उपस्थितः- वादीगण अधिवक्ता

दादा बाबत घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी ने घोषणार्थ, रिकार्ड दुरुस्ती हेतु वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि यह कि वाके ग्राम सिरसला, तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनू-राज०, की सरहद में कृषि भूमि खसरा नं. 170 रकबा 1.79 है०, खसरा नं. 232 रकबा 2.58 है०, खसरा नं. 326 रकबा 1.32 है०, खसरा नं. 404/229 रकबा 0. 40 है०, खसरा नं. 413/230 रकबा 0.52 है०, खसरा नं. 517/170 रकबा 0.07 है०, कुल किता 6, कुल रकबा 6.68 है०, अवस्थित है जिसे वाद-पत्र में आगे विवादित कृषि भूमि कहा गया है तथा जिसके काश्तकार संयुक्त रूप से वादीगण, तथा प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत न. 2 हैं उक्त वर्णित विवादित कृषि भूमि वादीगण तथा प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत नं. 2 की पुश्तैनी, दादालाई कृषि भूमि है। वास्ते मुलाहिजा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077, वादीगण के आधार कार्ड, लफ दावा है।

यह कि वाद पत्र में वर्णित सजरा से साफ रौशन होता है कि स्व० श्री थानाराम के तीन पुत्र नामे क्रमशः रामस्वरूप, रामजीलाल, चन्दगी पैदा हुई. तथा उक्त चन्दगी पुत्र स्व० श्री थानाराम अविवाहीत नाऔलाद फौत हो गया, तथा उक्त रामरूवरूप, के दो पुत्र नामे क्रमशः मनोहर उर्फ मोहरसिंह, व रामेश्वर पैदा हुये, उक्त रामेश्वर पुत्र स्व० श्री रामस्वरूप अविवाहीत नाऔलाद फौत हो गया तथा खातेदार ईश्वर, व ओमप्रकाश उक्त रामजीलाल संयुक्त हिस्सा 1/2 के विधिक वारिसान हैं तथा वादीगण उक्त मनोहर उर्फ मोहरसिंह की जायन्दा संतान है तथा उक्त मनोहर उर्फ मोहरसिंह व रामेश्वर के संयुक्त हिस्सा 1/2 के विधिक उत्तराधिकारी है।

यह कि मौजा सिरसला में उक्त वर्णित विवादीत कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 2 के कॉमन पूर्वज स्व० श्री थानाराम कौम धानक सा. देह के नाम से दर्ज भू-अभिलेख रही है तथा उक्त स्व० श्री थानाराम के फौत होने के बाद उक्त कृषि भूमि उक्त स्व० श्री थानाराम के विधिक

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

राजस्व वाद संख्या:- 18/2023
छिन्दर वगै० बनाम ईश्वर वगै०
निर्णय दिनांक:- 10/06/2025

वारिसान क्रमशः रामस्वरूप, चन्दगी, रामजीलाल के नाम दर्ज भू-अभिलेख हो गई तथा उक्त रामस्वरूप पुत्र स्व० श्री थानाराम के फौत होने के बाद मनोहर उर्फ मोहरसिंह पुत्र स्व० श्री रामस्वरूप तथा रामेश्वर पुत्र रामस्वरूप की वल्दियत गलत तरीक से राजस्व कर्मचारीगण ने वांछित जानकारी के अभाव में राजस्व भू-अभिलेख में मनोहरसिंह व रामेश्वर, की वल्दियत चन्दगी दर्ज भू-अभिलेख में दर्ज कर दी उक्त गलत तरीके से दर्ज मनोहरसिंह व रामेश्वर की वल्दियत चन्दगी पृश्चातवर्ती चौसाला जमाबंदीयात में भी दर्ज भू-अभिलेख में दर्ज होती रही जो कि दुरुस्त योग्य है।

यह कि वाद-पत्र की में वर्णित विवादित कृषि भूमि मुताबिक वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 10 में वर्णित भूमि के खातेदार मनोहरसिंह, हिस्सा 1/4, फौत हो चुका है तथा खातेदार रामेश्वर हिस्सा 1/4, अविवाहीत नाऔलाद फौत हो चुका है उक्त मनोहरसिंह व रामेश्वर संयुक्त हिस्सा 1/2 के एक मात्र विधिक वारिसान वादीगण नं. 1 लगायम 3 है जिस कारण उक्त विवादीत कृषि भूमि में वादीगण का पृथक-पृथक हिस्सा हिस्सा 1/6 संयुक्त हिस्सा 1/2 बनता है उक्त वर्णित विवादित कृषि भूमि का मौखिक तथा आपसी सुलह से बँटवारा कर वादीगण व प्रतिवादीगण नं 1 लगायत 2 ने अपने-अपने हिस्से का आपस में बैठ कर, सुलह से भाई बंटवारा कर, भौतिक तौर पर अपना-अपना हिस्सा कायम कर शान्ति पूर्वक कास्त कर रहे है।

यह कि वादीगण ने अपनी संयुक्त हिस्सा 1/2 कृषि भूमि को आधुनिक ढंग से काश्त कर रखा है तथा अपनी भूमि के सुधार पर काफी व्यय कर व मेहनत कर भूमि का सुधार किया है तथा वादीगण को अपनी कृषि भूमि को और अधिक उपजाऊ बनाने हेतु ऋण व मूल निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र हैसियत प्रमाण-पत्र, बनवाने के लिए राजस्व रिकार्ड की आवश्यकता रहती हैं इस सम्बन्ध में वादीगण ने हल्का पटवारी व श्रीमान् तहसीलदार महोदय, सूरजगढ़ से सम्पर्क कर अपने राजस्व रिकार्ड व खतौनी में अपने पिता व अपने पिता के भाई रामेश्वर के फौत होने पर विरासत नामान्तकरण दर्ज करवाने के लिए निवेदन किया तो हल्का पटवारी ने वादीगण को अवगत करवा की पहले आपको अपना राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करवाना होगा तब वादीगण ने प्रतिवादी नं. 3 के यहां दुरूस्त करवाने हेतू निवेदन किया तो उक्त प्रतिवादी नं. 3 ने वादीगण को अवगत कराया कि वादीगण नं. 1 लगायत 3 को अपनी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व खतौनी आदि में अपने पिता व अपने पिता के भाई रामेश्वर की वल्दीयत के नाम की दुरूस्ती करवाने हेतु न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष विधिवत् दावा प्रस्तुत करना होगा जिस कारण वादीगण को यह वाद-पत्र न्यायालय श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है।

यह कि वादीगण मजदूरी पेशा व्यक्ति हैं जिसके चलते वादीगण ने कमी आवश्यकता न होने के कारण उक्त विवादित आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं की दिनांक 26-12-2022 को वादीगण को इस बात की जानकारी हुई कि उक्त आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण की वल्दियत तथा वादीगण के पिता व पिता के भाई रामेश्वर की वल्दियत गलत तरीके से दर्ज है जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत नं. 2 से इस बाबत बातचीत की तथा उक्त विवादित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत नं. 2 ने उक्त राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करवाने हेतु साफ तौर पर इन्कार कर दिया तथा वादीगण को ऐलानियाँ धमकी दी कि वे गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड में उक्त विवादित आराजियात में से वादीगण के हिस्से की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करेंगे तथा वादीगण को जबरन उनके हिस्से पर से बेदखल कर उक्त हिस्सा अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय करेंगे उक्त प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जेशुदा भूमि को विक्रय करने का कोई हक व अधिकार नहीं है, उक्त प्रतिवादीगण का वादीगण के हिस्से की भूमि पर नाजायज कब्जा करने व विक्रय करने पर आमादा होने के कारण उक्त प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु यह दावा वादी को न्यायलय श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है।

यह कि यहां यह खुलासा करना उचीत होगा कि वादीगण नं 1 लगायत 3 के पिता के मृत्यु प्रमाण-पत्र में वल्दियत रामस्वरूप अंकित है जो की सही वल्दियत है। वादीगण नं. 1 लगायत 3. को अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व खतौनी आदि में अपने पिता मनोहर उर्फ मोहरसिंह व अपने पिता के भाई रामेश्वर जो कि अविवाहीत नाओलाद फौत हो गया था की वल्दीयत दुरुस्ती करवाने

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या:– 18/2023
छिन्दर वगै0 बनाम ईश्वर वगै0
निर्णय दिनांक:– 10/06/2025

हेतु न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष विधिवत् दावा प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है जिस कारण वादीगण को यह वाद–पत्र न्यायालय श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है।

यह कि वाद कारण दिनांकरू 26–12–2022 को प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 2 के द्वारा वादीगण के कब्जे कास्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा होने व वादीगण द्वारा उक्त प्रतिवादीगण को ऐसा न करने हेतु कहने पर भी प्रतिवादीगण के बाज न आने के कारण वादी को बिनाय दावा हासिल है जो कि निरन्तर जारी है।

दादरसी:–

(क). यह कि कृषि भूमि हाल खसरा नं. 170 रकबा 1.79 है०, खसरा नं. 232 रकबा 2.58 है०, खसरा नं. 326 रकबा 1.32 है०, खसरा नं. 404/229 रकबा 0.40 है०, खसरा नं. 413/230 रकबा 0.52 है०, खसरा नं 517/170 रकबा 0.07 है०, कुल किता 6, कुल रकबा 6.68 है०, स्थित मौजा सिरसला, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त कर उक्त भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण नं. 1 लगायत 3 के स्व० पिता स्व० श्री मनोहरसिंह उर्फ मोहरसिंह, की वल्दियत जो गलत तरीके से रामस्वरूप की बजाय चन्दगी दर्ज हुआ है उसे हजफ किया जावें तथा वादीगण नं. 1 लगायत 3 की वल्दियत स्व० श्री मनोहरसिंह उर्फ मोहरसिंह, पुत्र स्व० श्री रामस्वरूप की जावें तथा इसी सही वल्दियत को वादीगण नं. 1 लगायत 3 के अग्रगामी निर्मित भू–अभिलेख मौजा सिरसला में दर्ज कराया जावें।

(ख) यह कि राजस्व ग्राम सिरसला, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू–राज०, की सरहद में कृषि भूमि खसरा नं. 170 रकबा 1.79 है०, खसरा नं. 232 रकबा 2.58 है०, खसरा नं. 326 रकबा 1.32 है०, खसरा नं. 404/229 रकबा 0.40 है०, खसरा नं. 413/230 रकबा 0.52 है०, खसरा नं. 517/170 रकबा 0.07 है०. कुल किता 6, कुल रकबा 6.68 है०, के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार रामेश्वर हिस्सा 1/4, नाऔलाद फौत हो चुका है का नाम उक्त रिकॉर्ड से हजफ कर उक्त रामेश्वर के हिस्सा 1/4 का वादीगण नं. 1 लगायत 3 को ब. हि. ब. खातेदार घोषित किया जाकर उक्त राजस्प रिकॉर्ड में वादीगण नं. 1 लगायत 3 को पृथक–पृथक हिस्सा 1/6, संयुक्त हिस्सा 1/2 का खातेदार घोषित किया जावें।

(ग) यह कि प्रतिवादीगण न. 1 लगायत नं. 2 को स्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि वो उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादीगण की पैतृक कब्जे काश्त की कृषि भूमि सयुक्त हिस्सा 1/2 के कब्जा काश्त में दखल पैदा न करें तथा उसके उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा कारित न करें।

वाद पत्र पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 09.04.2024 को प्रतिवादी संख्या 01 की और से श्री रामेश्वर दयाल अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी दी गयी एवं वकालतनामा पेश करने बाबत समय चाहा। दिनांक 13.05.2025 को अधिवक्ता श्री मदन सिंह राठौड द्वारा प्रार्थना पत्र मिशल तलबी पेश किया। प्रार्थना पत्र मिशल तलबी पेश होने पर पत्रावली तलब की गयी । पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन बाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वकील वादी की बहस सुनी गयी । वकील वादी ने अपनी बहस के दौरान बताया कि उक्त प्रकरण मे तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गयी थी जो सहवन से आदेशिका पर नही आई । वकील वादी ने मुताबिक अनुतोष वाद को अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया । उक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट के अवलोकन बाद वाद वादीगण स्वीकार कर मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

यह कि कृषि भूमि हाल खसरा नं. 170 रकबा 1.79 है०, खसरा नं. 232 रकबा 2.58 है०, खसरा नं. 326 रकबा 1.32 है०, खसरा नं. 404/229 रकबा 0.40 है०, खसरा नं. 413/230 रकबा 0.52 है०, खसरा नं 517/170 रकबा 0.07 है०, कुल किता 6, कुल रकबा 6.68 है०, स्थित मौजा सिरसला, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त कर उक्त भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण नं. 1 लगायत 3 के स्व० पिता स्व० श्री मनोहरसिंह उर्फ मोहरसिंह, की वल्दियत जो गलत

एसडीओ
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः– 18/2023
छिन्दर वगै0 बनाम ईश्वर वगै0
निर्णय दिनांकः– 10/06/2025

तरीके से रामस्वरूप की बजाय चन्दगी दर्ज हुआ है उसे हजफ किया जानें तथा वादीगण नं. 1 लगायत 3 की वल्दियत स्व० श्री मनोहरसिंह उर्फ मोहरसिंह, पुत्र स्व० श्री रामस्वरूप की जावें. तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार रामेश्वर हिस्सा 1/4, नाऔलाद फौत हो चुका है का नाम उक्त रिकॉर्ड से हजफ कर उक्त रामेश्वर के हिस्सा 1/4 का वादीगण नं. 1 लगायत 3 को ब. हि. ब. खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण नं. 1 लगायत 3 को पृथक–पृथक हिस्सा 1/6, संयुक्त हिस्सा 1/2 का खातेदार/काश्तकार घोषित करने की घोषणा की जाती हैं । उक्तानुसार तहसीलदार सूरजगढ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने को आदेशित किया जाता है। रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 10/06/2025..... को खुले इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी ।। आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः– 18/2023
छिन्दर वगै0 बनाम ईश्वर वगै0
निर्णय दिनांक 10/06/2025

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेष 20 के नियम 6 और 7)
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती सुमन देवी II (आर.ए.एस.)

मु0नं0 18/2023

छिन्दर वगै0 बनाम ईश्वर वगै0

दावा बाबत, रिकार्ड दुरुस्ती, घोषणार्थ एवम् स्थाई निषेधाज्ञा

वादी अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 10/06/2025 को श्रीमती सुमन देवी II उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि–

अतः वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है कि कृषि भूमि हाल खसरा नं. 170 रकबा 1.79 है०, खसरा नं. 232 रकबा 2.58 है०, खसरा नं. 326 रकबा 1.32 है०, खसरा नं. 404/229 रकबा 0.40 है०, खसरा नं. 413/230 रकबा 0.52 है०, खसरा नं 517/170 रकबा 0.07 है०, कुल किता 6, कुल रकबा 6.68 है०, स्थित मौजा सिरसला, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त कर उक्त भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण नं. 1 लगायत 3 के स्व० पिता स्व० श्री मनोहरसिंह उर्फ मोहरसिंह, की वल्दियत जो गलत तरीके से रामस्वरूप की बजाय चन्दगी दर्ज हुआ है उसे हजफ किया जानें तथा वादीगण नं. 1 लगायत 3 की वल्दियत स्व० श्री मनोहरसिंह उर्फ मोहरसिंह, पुत्र स्व० श्री रामस्वरूप की जावें तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार रामेश्वर हिस्सा 1/4, नाऔलाद फौत हो चुका है का नाम उक्त रिकॉर्ड से हजफ कर उक्त रामेश्वर के हिस्सा 1/4 का वादीगण नं. 1 लगायत 3 को ब. हि. ब. खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण नं. 1 लगायत 3 को पृथक–पृथक हिस्सा 1/6, संयुक्त हिस्सा 1/2 का खातेदार/काश्तकार घोषित करने की घोषणा की जाती हैं । उक्तानुसार तहसीलदार सूरजगढ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने को आदेशित किया जाता है। रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 10/06/2025..... को खुले इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़